[2015] 2 एस.सी.आर. 995

एडवर्ड

बनाम

पुलिस निरीक्षक, आंदिमादम पुलिस

स्टेशन

(आपराधिक अपील संख्या 707/2007) 11 मार्च, 2015

[पिनाकी चंद्र घोष और आर.के. अग्रवाल, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 – मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद – अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित मृतक पर घातक हथियारों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई – एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य के आधार पर धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया गया ~ उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 304 खण्ड 1 में परीवर्तित किया {दोषसिद्धि के खिलाफ अपील –अवधारण: एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं – तथ्यों से साबित होता है कि मृतक पर हमला करने के सामान्य इरादे से अभियुक्तों की उपस्थिति थी – दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए

अवधारण: दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, यह माना गया था कि जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और दुश्मनी का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति में खींचने की प्रवृत्ति होती है जिसके खिलाफ गवाह को शिकायत होती है लेकिन ऐसी आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और प्रत्येक मामले का निर्णय एवं संचालन उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में चश्मदीद गवाह के पास आरोपी के प्रति शत्रुतापूर्ण होने का कोई सबूत नहीं था। पीडब्लू –3 द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था।

भले ही दृष्टव्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अंतर है, तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोपी मृतक पर हमला करने के सामान्य इरादे से वहां मौजूद थे। इस प्रकार, वर्तमान मामले में दृष्टव्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अंतर अभियुक्तों के बरी करने में कोई आधार नहीं होगा।

[पैरा 8, 9 और 10] [999– जी–एच; 1000–ए–डी]

दलीप सिंह और अन्य। पंजाब राज्य 1954 (1) एससीआर 145; बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) (2010) 12 एससीसी 91: 2010 (8) एससीआर 1036 – पर भरोसा किया गया।

उड़ीसा राज्य बनाम ब्रह्मानंद नंदा (1976) 4 एससीसी 288: कर्नाटक राज्य बनाम वेंकटेश व अन्य। (1992) सप्ल.1 एससीसी 539: हरीश कुमार बनाम दिल्ली राज्य प्रशासन (1994) सप्ल. 1 एससीसी 462 – संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ (1976) 4 एससीसी 288 संदर्भित। पैरा 5 (1992) सप्ल.1 एससीसी 539 – संदर्भित। पैरा 5 (1994) पूरक। 1 एससीसी 462 का उल्लेख है। पैरा 6 1954 (1) एससीआर 145 पर भरोसा किया गया। पैरा 8 2010 (8) एससीआर 1036 पर भरोसा किया गया। पैरा 9

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 707/2007

मद्रास उच्च न्यायालय के फौजदारी अपील संख्या 1540 सन 2022 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 16.03.2006 से अपीलकर्ता के लिए एम. एन. राव, बसंत आर., एस. थानंजयन, प्रोमिला, कार्तिक अशोक।

एम. योगेश कन्ना, संथा कुमारन, वनिता सी. गिरी, एडवर्ड बनाम पुलिस निरीक्षक, आनंदिमादम पुलिस स्टेशन प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पिनाकी चंद्र घोष, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1. ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2002 की आपराधिक अपील संख्या 1540 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.3.2006 के खिलाफ आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दायर अपील को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार वर्णित हैं:

2. मृतक माइकलराज और आरोपी व्यक्ति पेरम्बलुर जिले के तालुक उदयरापालयम के एक ही गांव के निवासी थे। माइकलराज और आरोपियों के बीच जमीन का विवाद था, जिसके चलते उनके बीच दुश्मनी थी। मूल रूप से, मृतक माइकलराज की दादी ने माइकलराज के पक्ष में एक समझौता पत्र निष्पादित किया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, संपत्ति का एक हिस्सा अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया। समझौता विलेख के बावजूद, अपीलकर्ता ने दावा किया कि मृतक और उसके रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने मृतक और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने आगे दावा किया कि भले ही मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित किए गए थे , माइकलराज और उनके रिश्तेदारों ने अपीलकर्ता को संपत्ति पर अपने कब्जे का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। .

3. 10.12.1997 को शाम लगभग 7:30 बजे, जब माइकलराज अपने दोस्त जॉन पॉल के साथ अपने ससुर के घर से लौट रहा था, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उस पर घातक हथियारों से हमला किया। इस घटना को जॉन पॉल (पीडब्लू–1) और एंथोनी राज (पीडब्लू–3) ने देखा था। मृतक को चोटें आईं और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, पीडब्लू–1 पुलिस स्टेशन गए और पीडब्लू–11 को एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता ("आईपीसी") की धारा 147, 148, 341, 324 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। 14.12.1997 को, माइकलराज की अस्पताल में मृत्यु हो गई और उसके बाद पुलिस निरीक्षक (पीडब्लू–12) ने आईपीसी की धारा 302 में मामले को बदल दिया। पीडब्लू–12 ने अदालत से पुलिस हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। पुलिस हिरासत में, उसने अपीलकर्ता से कबूलनामा प्राप्त किया , जिसके परिणामस्वरूप हथियारों की बरामदगी हुई, जिन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। इसके बाद, पीडब्लू–14 ने पीडब्लू–12 से मामला प्राप्त किया और मामले की अग्रिम विवेचना की तथा भा.द.सं. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप प्रेषित किया।

मामला विचारण न्यायालय के समक्ष आया जिसने एकमात्र चश्मदीद गवाह पी०डब्लू० 3 द्वारा उपलब्ध कराये गये सबूतो को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन का मामला संदेह से परेय साबित हुआ है और इस तरह अभियुक्त को भा.द.सं की धारा 148, 149, 302 व 341 के तहत दोषसिद्ध किया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योजित की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 16.03.2006 के जरिये अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा योजित अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें भा.द.सं की धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल के लिये कठोर कारावास की यह कहते हुये सजा सुनाई कि मृतका का इलाज करने वाले चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया और उपचार की प्रकृति के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर यह एक मात्र अपील हमारे सामने है।

5. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उड़ीसा राज्य बनाम बृहमानंद नंदा (1976)4 एससीसी. 288 के केस पर पर भरोसा जताया जिसमें अभियोजन का संपूर्ण मामला एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में दिये गये मौखिक साक्ष्य पर आधारित

था जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही इस न्यायलय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कर्नाटक राज्य बनाम बेंकटेश व अन्य (1992) सप्ल.1 एससीसी 539 जिसमें इस न्यायालय ने यह माना की विश्वसनीय गवाही और सबूत के अभाव में अभियुक्त दोषी साबित नहीं हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की वर्तमान मामले में पी०डब्लू० –3 द्वारा कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया था क्योंकि वह अभियुक्त के खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने वाला एक मात्र साक्षी था और इसे आगे देखा जा सकता है कि पी०डब्लू०–1 पक्षद्रोही हुआ।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हरीश कुमार बनाम दिल्ली राज्य प्रशासन (1992) सप्ल 1 एससीसी 462 जिसमें इस अदालत द्वारा यह माना गया था कि मृतक को दिये गये उपचार की प्रकृति की जांच करने के लिये उसे उचित सामग्री नहीं दी गयी थी। अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में चिकित्सकों द्वारा मृतक को दिये गये उपचार की प्रकृति दर्ज नहीं की गयी थी और घटना के चार दिन बाद मृतक की मृत्यु हो गयी। इसलिये यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक की मृत्यु अनन्यरुप से चोटों के कारण हुई है।

7. दूसरी ओर से प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्त ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

8. अपीलकर्ता के अधिवक्ता के तथ्यों के तर्कों के संबंध में जहां यह कहा गया कि दलीप सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (1954)1 एससीआर 145 के मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह आरोपी के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि यह सच है कि जब भावनायें चरम पर होती हैं तो और दुश्मनी का कोई व्यक्तिगत कारण होता है तो किसी निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृति होती है जिसके खिलाफ गवाह को शिकायत है लेकिन ऐसी आलोचना के लिये नींव रखी जानी चाहिये और प्रत्येक मामले का निर्णय और संचालन उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिये। इस मामले में हमें आँखों के सामाने ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाता है कि गवाह आरोप के प्रति शत्रुतापूर्ण है।

9. विपिन कुमार मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011)2 एससीसी(फौजदारी)150= (2010)12 एससीसी 91 के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को एकल गवाह की एक मात्र गवाही पर दोषी ठहराने में कोई बाधा नहीं है। वशर्ते वह पूरी तरह विश्वसनीय हो। वर्तमान मामले में पी०डब्लू०–3 द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह का कोई आधार नहीं है।

10. भले ही दृष्टव्य और चिकित्सीय साक्ष्यों में अंतर हो लेकिन तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त मृतक पर हमला करने का सामान्य इरादे से वहां मौजूद थे इस प्रकार वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करने में दृष्टव्य औश्र चिकित्सा साक्ष्य के बीच अंतर का कोई आधार नहीं होगा।

11. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमारी सुविचारित राय है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में इस मामले में हमारे द्वारा किसी भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, अपील में योग्यता का अभाव है तदनुसार खारिज की जाती है।

देविका गुजरात अपील खारिज।

(कृष्ण कुमार सिंह–II)

अपर प्रधान न्यायाधीश,

कोर्ट सं०–1, परिवार न्यायालय,

फिरोजाबाद।